श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री

बिहार सरकार

डॉ० भीम सिंह
माननीय मंत्री

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2012–13

वार्षिक कार्यक्रम 2013–14

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Budget 2024-25\Varshik prativedan all pdf\Varshik prativedan Panchayati Raj Department\2012-13\Varshik_Prativedan_2012-13_(Final for Print) 28.02.2013 - Copy - Copy.doc

प्रस्तावना

73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गो तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। अब गाँव के विकास की जवाबदेही पंचायतों के पास है। आमजनों को घर बैठे गाँव में उचित न्याय प्राप्त हो, इस हेतु ग्राम कचहरी का भी गठन किया गया है।

वर्त्तमान में 38 जिला परिषदें, 531 पंचायत समितियाँ, 8406 ग्राम पंचायतें एवं 8406 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं।

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में लोकप्रिय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार की कल्पना के अनुसार बहुद्देशीय पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाना है। इस भवन के निर्माण से पंचायती राज की भावना साकार हो सकेगी तथा सभी विभागों के ग्राम पंचायत स्तर के कर्मी एवं पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि एक साथ बैठकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। इस संबंध में आर्किटेक्चरल डिजाईन तैयार कर लिया गया है। 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले 1000.00 करोड़ रू0 (एक हजार करोड़ रू0) की राशि से करीब 1435 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक की योजना भी तैयार की जा रही है।

विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से किया जा सके, इसके लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2012–13 में उच्च प्राथमिकता के विभिन्न विकास कार्य, जिनमें पंचायतों के नेतृत्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, उन क्षेत्रों

में पंचायत प्रतिनिधियों के गहन प्रशिक्षण की कार्रवाई की गई, जिसमें दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के चार–दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन पटना स्थित कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण पुस्तिकाओं का विमोचन कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्पन्न किया गया। इसी क्रम में राज्य एवं जिला स्तर पर लगभग 2273 प्रशिक्षकों को चार–चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया और इन प्रशिक्षकों द्वारा जिला एवं प्रखंड स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को चार–दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अभी तक लगभग 80 प्रतिशत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रिया–सॉफ्ट एक आधुनिक एवं प्रभावी सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से पंचायत के पूर्ण लेखा का कम्प्यूटरीकरण करते हुये उसे सभी के लिए ऑनलाईन सुलभ किया जा सकता है। इस प्रोग्राम को विभाग द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके लिए मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार किया गया है। साथ ही प्रखण्डों में आई0टी0 सेल स्थापित किया गया है और वहाँ बेल्ट्रॉन से कम्प्यूटर कर्मी उपलब्ध कराये गये हैं। मास्टर प्रशिक्षकों से उन्हें प्रशिक्षित कर प्रखण्ड स्तर पर उन्हें प्रिया–सॉफ्ट का संचालन करने की योजना पर तेजी से कार्य किया जा सकेगा।

वर्ष 2012–13 में इस विभाग द्वारा किए गये महत्वपूर्ण कार्यों को वार्षिक प्रतिवेदन में संकलित करने का प्रयास किया गया है। प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सार्थक प्रयास कर अधिक से अधिक उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकें।

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ० भीम सिंह)
मंत्री,
पंचायती राज विभाग

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य विवरण	1
2.	बी० आर० जी० एफ०	1
3.	तेरहवाँ वित्त आयोग	7
4.	मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	9
5.	विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	9
6.	यू0एन0डी0पी0 – स्थानीय स्वशासन के लिए क्षमता निर्माण	12
7.	ग्राम सभा	13
8.	पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम	15
9.	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	17
10.	शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण	17
11.	नये कानून	18
12.	प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजन	19
13.	जिला परिषद् को अनुदान	19
14.	पंचायत उप चुनाव दिसम्बर, 2012 / नवगठित जम्होर पंचायत आम चुनाव दिसम्बर, 2012	19
15.	सूचना का अधिकार	20
16.	जन–शिकायत से संबंधित आवेदन	21
17.	प्रिया–सॉफ्ट	21
18.	पंचायत सरकार भवन	22
19.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	23

पंचायती राज विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये हैं। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल—मई, 2011 में पंचायत का आम निर्वाचन सम्पन्न कराया गया है, फलस्वरूप वर्त्तमान में 38 जिला परिषदें, 531 पंचायत समितियाँ, 8405 ग्राम पंचायतें एवं 8405 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट—1)।

पंचायती राज विभाग में योजना मुख्य शीर्ष 2515, 4515 एवं गैर योजना मुख्य शीर्ष 2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वर्ष 2012—13 में गैर योजना मद में मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत 222745.57 लाख रुपये (बाईस अरब सत्ताईस करोड़ पैंतालीस लाख सनतावन हजार रूपये) का उपबंध है। मुख्य शीर्ष 2015 के अन्तर्गत 1168.52 लाख रुपये (ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख बावन हजार रूपये) का उपबंध है। मुख्य शीर्ष 3451 के अन्तर्गत 126.90 लाख रुपये (एक करोड़ छब्बीस लाख नब्बे हजार रूपये) का उपबंध है।

योजना मुख्य शीर्ष 2515 के अन्तर्गत वर्ष 2012—13 में 128600.00 लाख रुपये (बारह अरब छियासी करोड़ रूपये) का योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध है। (विवरणी परिशिष्ट – 2 एवं 3)।

2. बी० आर० जी० एफ०

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम (बी० आर० जी० एफ०) का मूल उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिले शामिल हैं।

बी० आर० जी० एफ० कार्यक्रम के दो घटक हैं : (i) अनाबद्ध निधि (ii) क्षमता निर्माण निधि।

(i) <u>अनावद्ध निधि (Untied Fund)</u> :–

अनावद्ध निधि का उद्‌देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। इसके अंतर्गत जिलो में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों द्वारा सहभागिता पूर्ण तरीके से तैयार की गई योजनाओं को समन्वित कर प्रत्येक जिला के लिए जिला योजना तैयार की जाती है। इस जिला योजना पर संबंधित जिला की जिला योजना समिति के अनुमोदनोपरांत भारत सरकार से प्राप्त विकास अनुदान को जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

विकास अनुदान का वितरण प्रत्येक जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर निकायों को उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2007–08 में जिले की पंचायत घटक की राशि का वितरण त्रिस्तरीय पंचायतों यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के बीच 92:6:2 के अनुपात में किया गया था। परन्तु जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के सदस्यों की मांगों तथा बी० आर० जी० एफ० निधि के युक्तिसंगत ढंग से बँटवारे के प्रश्न को दृष्टि पथ में रखते हुए वर्ष 2008–09 से प्रत्येक जिले की पंचायत घटक की राशि में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषद्ों के बीच क्रमशः 70:20:10 के अनुपात में वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 से सीवान तथा अरवल जिला को स्वतंत्र रूप से इसमें शामिल किया गया है जबकि पूर्व में अरवल, जहानाबाद के साथ संयुक्त रूप में शामिल था। इस प्रकार राज्य के सभी जिले इस कार्यक्रम में शामिल हो गये हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 में बी०आर०जी०एफ० के अन्तर्गत कुल 684.75 करोड़ रू० प्राप्त होने हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 में 327.40 करोड़ रूपये प्राप्त हो चुके हैं (इस राशि में वित्तीय वर्ष 2011–12 के द्वितीय किस्त के 46.41 करोड़ रु0 भी शम्मिलित हैं)। शेष 403.76 करोड़ रूपये इसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर लिया जायेगा। विभाग इसके लिए प्रयत्नशील है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन एवं विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तरालों को भरने के लिए वर्ष 2012–13 में राज्य के 38 जिले हेतु 722.75 करोड़ रू० (सात अरब बाईस करोड़ पचहत्तर लाख रू०) व्यय करने का कार्यक्रम है।

दिनांक 13.09.2012 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्‌घाटन एवं प्रशिक्षण पुस्तिकाओं का विमोचन। साथ में माननीय पंचायती राज मंत्री, डॉ0 भीम सिंह (दाहिने)।

(ii) क्षमतावर्द्धन निधि (Capacity Building Fund)

बी०आर०जी०एफ० क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से 31.34 करोड़ रूपया राज्य को प्राप्त हुआ। जिसमें से 20.66 करोड़ रूपये निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु जिलों को उपावंटित किया गया।

त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 2012 में जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन कराने के लिए विभाग द्वारा तैयारी की गई। इसी क्रम में चरणबद्ध तरीके से एम०आर०पी० (मास्टर रिसोर्स परसन) एवं डी०आर०पी० (जिला रिसोर्स परसन) के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। 37

बी०आर०जी०एफ० जिलों के लिए (प्रति जिला 4 की दर से) कुल 148 एम०आर०पी० को चार दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा पटना स्थित बिपार्ड में माह सितम्बर/ अक्टूबर, 2012 में दिया गया। इसके उपरांत जिलों की आवश्यकता के अनुसार (प्रति प्रखंड 4 डी०आर०पी० की दर से) कुल 2060 डी०आर०पी० को चार दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण एम०आर०पी० के माध्यम से माह नवम्बर, 2012 में जिला स्तर पर दिया गया।

प्रशिक्षण के लिए विभागीय स्तर पर तीन प्रकार का प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया (1) प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग–I में पंचायती राज संस्थाओं का परिचय एवं भूमिका व दायित्व (2) प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग–II में विकास सम्बन्धी योजनाएँ एवं कार्यक्रम (3) प्रशिक्षण मॉड्यूल भाग–III में वित्तीय प्रबंधन, लेख संधारण, ई–गवर्नेंस, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, जवाबदेही तथा प्रकीर्ण के अन्तर्गत नेतृत्व तथा जेण्डर एवं सुशासन विषयों को सम्मिलित किया गया है। तीनों भागों का कुल 4,26,300 (चार लाख छब्बीस हजार तीन सौ) प्रतियाँ मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध कराया गया है।

जिला–मधुबनी के पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन हेतु आयोजित चार–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह में दीप प्रज्वलित करते हुए माननीय पंचायती राज मंत्री, डॉ0 भीम सिंह।

विभागीय कार्यकारी निदेश के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 1.50 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण का आयोजन दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 से 24 दिसम्बर, 2012 तक एवं द्वितीय चरण दिनांक 15 जनवरी, 2013 से दिनांक 31 जनवरी, 2013 तक जिला एवं प्रखंड स्तर पर किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख एवं सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया एवं वार्ड सदस्य तथा पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी एवं पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण से लाभ उठाये।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम का वार्षिक कार्य योजना (A.W.P.) कुल 38.39 करोड़ रूपये का विभागीय स्तर पर तैयार कर पंचयती राज मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा गया है।

जिला परिषद्, बांका के चार–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए माननीय पंचायती राज मंत्री, डॉ0 भीम सिंह।

जिला परिषद्, बक्सर के चार–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए माननीय पंचायती राज मंत्री, डॉ0 भीम सिंह।

प्रखंड–हरनौत, जिला–नालन्दा में पंचायत समिति के चार–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में चर्चा करते हुए प्रतिभागीगण

3. तेरहवाँ वित्त आयोग

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से पंचायत राज संस्थाओं के लिए 2010–11 से 2014–15 तक तीन तरह की राशि प्राप्त होगी। भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के आलोक में राज्य गैर–योजना बजट में उपबन्ध कराकर राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(क) सामान्य बुनियादी अनुदान (General Basic Grants) – यह राशि वर्ष 2010–11 से प्राप्त हो रही है।

(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान (General Performance Grants) – यह राशि वर्ष 2011–12 से प्राप्त हो रही है।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को भारत सरकार से विमुक्ति की प्रत्याशा में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में तथा वित्तीय वर्ष के छह माह बीतने के तत्काल बाद संबंधित वित्तीय वर्ष के बजट में उपबंधित राशि से जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के बीच 10:20:70 के अनुपात में वितरित करने की स्वीकृति दी गयी है। इस राषि का उपयोग आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण हेतु अन्य योजनाओं से राशि उपलब्ध नहीं होने पर किया जाना है। जिन जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि से हो चुका है एवं अब आंगनबाड़ी केन्द्र की आवश्यकता नहीं रह गयी है, इस परिस्थिति में इस राशि का उपयोग उचित मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना (Proper manpower and infrastructure), जैसे कार्यालय भवन, पंचायत भवन की मरम्मति/निर्माण, आई०सी०टी० (ई–पंचायत), इत्यादि पर भी किया जा सकेगा।

दिनांक 31.10.2012 को जिला परिषद् अध्यक्ष एवं उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक को सम्बोधित करते हुए माननीय पंचायती राज मंत्री, डॉ0 भीम सिंह (दाहिने)। साथ में विभागीय प्रधान सचिव श्री अमिताभ वर्मा।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुषंसा के आलोक में भारत सरकार से विमुक्ति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2012–13 की सामान्य बुनियादी अनुदान की राशि 625.20 करोड़ रु० (छः अरब पचीस करोड़ बीस लाख रू०) राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 की सामान्य निष्पादन अनुदान (General Performance Grants) की भारत सरकार से प्राप्त राशि 268.2745 करोड़ रू० राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 की सामान्य निष्पादन अनुदान (General Performance Grants) की राशि 429.10 करोड़ रु0 भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुषंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013–14 में सामान्य बुनियादी अनुदान (General Basic Grants) एवं सामान्य निष्पादन अनुदान (General Performance Grants) के रूप में क्रमशः 740.74 करोड़ रू० एवं 506.04 करोड़ रू० अर्थात कुल 1246.04 करोड़ रू० (बारह अरब छियालीस करोड़ चार लाख रू०) पंचायत राज संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

(ग) **Special Grants** –

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु विशेष अनुदान के रूप में 2011–12 से 2014–15 तक चार वर्षों में 1000.00 करोड़ रु0 प्राप्त होने हैं तथा वर्ष 2011–12 में भारत सरकार से उक्त मद में 249.78 करोड़ रु0 विमुक्त किया गया है।

दिनांक 31.10.2012 को राज्य स्तरीय बैठक में उपस्थित जिला परिषद् अध्यक्ष एवं उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारीगण।

सरकार की इच्छा है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाए, परन्तु तत्काल 1213.37 करोड़ रु0 (1000 करोड़ रु0 13वें वित्त आयोग एवं 213.37 करोड़ रु0 राज्य योजना मद से) 1435 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वर्ष 2012–13 के दौरान 250 करोड़ रु0 के कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई है।

पंचायत सरकार भवन का निर्माण क्षेत्र 5920 वर्गफीट है तथा अनुमानित राशि 82.00 लाख रु0 प्रति भवन है। वर्ष 2012–13 में 1000 पंचायत सरकार भवनों तथा 2013–14 में शेष 435 भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) द्वारा कराया जाएगा। उपबंधित राशि योजना एवं विकास विभाग की मांग संख्या–35 में उपबंधित कराने हेतु प्रत्यर्पित कर दिया गया है। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 694–700 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु निविदा (Tender) प्रकाशित की गई है तथा शेष भवनों के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

4. मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यकम

राज्य के सभी गाँवों एवं टोलों की गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन उपलब्ध कराने के उद्देष्य से ''मुख्य मंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम'' प्रारम्भ करने का निर्णय विभागीय संकल्प संख्या 6835 दिनांक 13.08.2010 द्वारा लिया गया है। इसके तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को बी० आर० जी० एफ० कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके लिए जो राशि कर्णांकित है, ठीक उसके समतुल्य अतिरिक्त राशि राज्य योजना मद से अतिरिक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अन्तर्गत सीवान जिले के ग्राम पंचायतें भी शामिल है। प्राप्त योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल 61.00 करोड़ रु0 की राशि पंचायतों को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

5. विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से राज्य के छः जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा) के 91 प्रखंडों के 1304 ग्राम पंचायतों में विश्व बैंक की ऋण सहायता से परियोजना का 70 प्रतिशत अर्थात् 84 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 467.21 करोड़ रू0), राज्य अंशदान से परियोजना का 30 प्रतिशत अर्थात् 36 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 200.23 करोड़ रू0) अर्थात् कुल 120 मिलियन यू०एस० डॉलर (प्रति यू०एस० डॉलर 55.62 रू० की विनिमय दर से

667.44 करोड़ रू०) से "बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना" का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस परियोजना से पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि होगी, पारदर्शिता से कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा आम लोगों की कारगर ढंग से साझेदारी सुनिश्चित होगी।

परियोजना में निम्नांकित अवयवों पर कार्य किये जायेंगे:

(क) पंचायत सरकार भवन:

परियोजना अन्तर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाएगा। कुल 278.10 करोड़ (विश्व बैंक से प्राप्त ऋण–194.67 करोड़ तथा राज्य सरकार के अंशदान से 83.43 करोड़) रूपया की लागत से 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाएगा। यह निर्माण वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 में किया जाएगा।

(ख) पंचायतों का क्षमतावर्द्धन:

(i) **संस्थागत क्षमतावर्द्धन:**

पंचायत प्रतिनिधियों/ कर्मियों को उनके अधिकारों कर्तव्यों एवं अन्य सुसंगत नियम एवं कानून की जानकारी लगातार वर्ष भर दी जाएगी ताकि बेहतर ढंग से पंचायत स्तर पर योजनाओं का सूत्रण एवं प्रखण्ड से लेकर जिला स्तर पर उन योजनाओं का समेकीकरण हो सके। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इस हेतु **e-PRI** के तहत विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसी के तहत 'प्रियासॉफ्ट' के माध्यम से लेखा का संधारण किया जाएगा ताकि, पंचायतों में चल रही सभी योजनाओं एवं वित्तीय कार्यकलापों को पारदर्शी बनाया जा सके।

(ii) **पंचायतों के विकासात्मक क्षमता का सुदृढ़ीकरण:**

विशुद्ध पेय जल, स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) एवं पोषण जैसे कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने की सरकार की योजना है। पंचायतों के नेतृत्व में इन कार्यक्रमों को सफल बनाने का उद्देश्य है। उपरोक्त योजनाओं के पैतृक विभागों में इनपर जो काम हो रहा है उनसे समन्वय स्थापित कर इन कार्यों को पंचायतों के नेतृत्व, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराने का कार्य किया जायेगा।

(ग) शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के उचित प्रबंघन के लिए राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धनः—

पंचायतों को सशक्त, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने हेतु एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु बजट एवं लेखा नियामवली का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अनुशंसित 'मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम' लागू करने हेतु पंचायतों में लेखा संधारण सुनिश्चित कराया जाएगा।

(घ) पंचायत परफॉर्मेन्स ग्रांटः—

जिन ग्राम पंचायतों का प्रदर्शन उत्कृष्ट है उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु पारितोषिक अनुदान दिया जायगा जिसका इस्तेमाल इनके द्वारा ग्राम पंचायत के विकास हेतु किया जाएगा। इससे उनका उत्साहवर्द्धन होगा तथा वे अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकेंगे।

दिनांक 15.12.2012 को ग्राम पंचायत — धर्मडीहा, प्रखंड— फूलपरास, जिला मधुबनी में आयोजित विशेष महिला ग्राम सभा में उपस्थित महिला सदस्य गण।

(ड़) परियोजना का प्रबंधन एवं समन्वयनः–

परियोजना की संस्थानिक संरचना ग्राम स्तर से होते हुए प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय है जिसका कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग के तहत गठित 'बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी' के माध्यम से किया जाएगा।

इस परियोजना के संबंध में "बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी" द्वारा दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नांकित हस्तक के रूप में हैः

(क) परियोजना कार्यान्वयन योजना।

(ख) मानव संसाधन हस्तक।

(ग) वित्तीय प्रबंधन हस्तक।

(घ) अधिप्राप्ति हस्तक।

(ड़) पर्यावरण प्रबंधन रूप रेखा।

(च) पुनः स्थापना नीति की रूपरेखा।

परियोजना के तहत सभी कार्य इन्हीं हस्तकों के दिशा–निर्देशों के आधार पर किए जाएगें।

परियोजना हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता (Negotiation) कर लिया गया है तथा एकरारनामा (Agreement) प्रक्रियाधीन है।

6. यू०एन०डी०पी० प्रोजेक्ट–स्थानीय स्वशासन के लिए क्षमता निर्माण

UNDP द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से Capacity Development for Local Governance के उद्देश्य से निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को क्षमतावृद्धि हेतु 2008–12 की अवधि में प्रति वर्ष अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2010–11 के लिए 14.00 लाख रुपये (चौदह लाख रूपये) की राशि प्राप्त हुई है।

वर्ष 2012–13 में UNDP-CDLG परियोजना में मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियॉ आयोजित की गई हैंः

(1) **शैक्षणिक क्षेत्र भ्रमण** :– पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को राजस्थान के मॉडल पंचायतों का भ्रमण कराया गया, जिसमें 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राजस्थान के आदर्श पंचायतों के भ्रमण से लौटने के बाद अपने अनुभवों को बाँटते हुए भ्रमण दल की सदस्या श्रीमती अनिता देवी, मुखिया, नेरूत पंचायत, प्रखंड–अस्थावाँ, जिला–नालन्दा

(2) पंचायती राज संस्थाओं के क्षमताबर्द्धन हेतु सन्दर्भ/प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण :– तीन पुस्तकों का निर्माण किया गया तथा प्रशिक्षण हेतु अनुश्रवण टूल का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर पंचायतों के प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये हैं।

(3) विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियों का दस्तावेजीकरण (Documentation) :– दस्तावेजीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।

7. ग्राम सभा

(क) पंचायती राज संस्थाओं की सशक्त एवं सक्षम कराने में ग्राम सभा की एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में भूमिका है। बिहार सरकार द्वारा ग्राम सभा के सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायतों से संबंधित अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2009 से 2 अक्टूबर, 2010 तक ग्राम सभा वर्ष मनाया गया जिसमें ग्राम सभा को प्रभावशाली बनाने हेतु बिहार राज्य में अनेक कार्य किये गये।

दिनांक 15.12.2012 को ग्राम पंचायत – धर्मडीहा, प्रखंड– फूलपरास, जिला मधुबनी में आयोजित विशेष महिला ग्राम सभा।

(ख) ग्राम सभा को प्रभावशाली बनाने के क्रम में सरकार द्वारा बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं, जिनमें प्रमुख हैं– नियत अवधि पर ग्राम सभा की बैठक आहूत करना तथा संचालित करना, ग्राम सभा की बैठकों में सामान्य लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, गणपूर्ति, पीठासीन पदाधिकारी, ग्राम सभा के विचारणीय विषय आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार' कला जत्था' के माध्यम से करने हेतु बी०आर०जी०एफ० (क्षमताबर्द्धन) योजना अन्तर्गत 186.50 लाख रु0 (एक करोड़ छियासी लाख पचास हजार रूपये) स्वीकृत है और उसका उपयोग किया जाना है।

(ग) सरकार द्वारा ग्राम सभा के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2012 में बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012 अधिसूचित किया गया है।

(घ) विभाग द्वारा 'हेल्प लाईन' की शुरूआत वर्ष 2010 में की गई है जिसकी दूरभाष संख्या– 0612–2200019 है। हेल्प लाईन' द्वारा ग्राम सभा से संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाता है। इससे ग्राम सभा के सुदृढ़ीकरण में मदद मिल रही है।

जिला–भोजपुर में जिला परिषद् की चार–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला परिषद् सदस्यगण तथा जिला पदाधिकारी

8. पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम

पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम एक केन्द्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों को मुख्य धारा में लाने हेतु उन्हें संगठित करना है।

एसोशिएशन के माध्यम से निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधियों को जिस समय आवश्यक हो, ज्ञान समर्थन, सूचना, निःशुल्क कानूनी सहायता, लेखा एवं रिकॉर्ड रखने में सहायता, योजना निर्माण एवं योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं क्षमता का विकास करना प्रमुख कार्य होगा। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्वाचित पंचायत महिला प्रतिनिधियों के एसोशिएशन (संगठन) का गठन किया गया है, जिसका नाम **''शक्तिरूपा''** है। इसमें अध्यक्ष एवं सचिव सहित कुल 15 पदधारक हैं। 2011 में निर्वाचन के पश्चात् इसका गठन पुनः किया जा रहा है। इन्हें तकनीकी ज्ञान सहायता उपलब्ध कराने हेतु विभाग में राज्य समर्थन सहायता

उपलब्ध कराने हेतु विभाग में राज्य समर्थन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। ''शक्तिरूपा'' के कार्यालय/स्थान हेतु भवन निर्माण विभाग से सम्पर्क किया जा रहा है।

पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान के अन्तर्गत जिला स्तरीय सम्मेलन के लिए केन्द्र से प्राप्त राशि 19 जिलों में उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें 10 जिलों में जिला स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ है, शेष 9 जिलों में सम्मेलन नहीं कराया जा सका है।

राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान को संविलियन किए जाने का प्रावधान है।

जिला–भोजपुर में जिला परिषद् की चार–दिवसीय
प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागीगण

9. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73 वें संषोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उदेष्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यो में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से षक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/ जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विषेष मानदेय की स्वीकृति विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6159 दि० 04.12.08 द्वारा दी गई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रारंभ में योजना एवं विकास विभाग द्वारा मात्र 50 करोड़ रु0 की राशि का उद्व्यय प्राप्त हुआ था। विभाग द्वारा लगातार प्रयास के बाद पुनः योजना एवं विकास विभाग से 42 करोड़ रु0 की अतिरिक्त राशि का उद्व्यय प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस प्रकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय भुगतान हेतु कुल 92.00 करोड़ रु० (बानवे करोड़ रु०) की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है और अब भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2013–14 में मानदेय भुगतान के लिए तत्काल 92 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को वर्ष 2012–13 तक स्वीकृत मानदेय की दर को बढ़ाकर वर्ष 2013–14 में दुगुना करने का कार्यक्रम है।

10. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण

भारत के संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शक्ति प्रतिनिधायन कर पंचायत स्तर पर कार्य मानचित्रण वर्ष 2001 में किया गया। विभिन्न विभागों के साथ परामर्श कर प्रतिनिधायन अद्यतन का कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीनान्तर्गत बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के आलोक में त्रिस्तरीय

पंचायत राज संस्थाओं को निधि, कार्य एवं कर्मी का प्रतिनिधायन (devolution) के अद्यतन स्थिति से अवगत होने हेतु सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को पत्रांक–5082 दिनांक 23.08.2012 को निर्गत किया गया, जिसके आलोक में मात्र आपदा प्रबंधन विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की निधि, कार्य एवं कर्मी (3 Fs) के प्रतिनिधायन (Devolution) की अद्यतन स्थिति की सूचना मिली है।

11. नए कानून

(क) राज्य के पंचायतों के कर्मचारियों, निर्वाचित सदस्यों एवं अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कु–प्रषासन की षिकायतों की जाँच हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में संशोधन करते हुए लोक प्रहरी की व्यवस्था की गयी है।

(ख) स्थानीय लेखा परीक्षक (महालेखाकार) की वार्षिक रिर्पोट विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया है।

(ग) राज्य वित्त आयोग की सदस्यों की अर्हता का निर्धारण हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 संशोधन किया गया है।

(ध) पंचायत राज संस्थओं को सम्पति कर लगाने में समर्थ बनाने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया है।

(ङ) पंचायत राज संस्थाओं के लिए "बजट एवं लेखा नियमावली" का गठन किया जा रहा है।

(च) बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई है :–

(i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006

(ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006

(iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(iv) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007

(v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

(vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008

(vii) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011

(viii) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012

(ix) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम–निर्माण–प्रक्रिया) नियमावली, 2012

12. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ/पद सृजन

(1) विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2011 का गठन किया गया है। रिक्तियों के संबंध में जिलों से अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक–13 दिनांक 02.01.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को पंचायत सचिवों के 3047 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है।

(2) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लिपिक–सह–रोकड़पाल का पद सृजन प्रस्तावित है।

13. जिला परिषद् को अनुदान

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन/अनुशंसा पर राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में वर्ष 2012–13 के लिए राज्य के 38 जिला परिषदों में सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को वेतनादि के भुगतान हेतु स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

14. पंचायत उप चुनाव दिसम्बर, 2012/नवगठित जम्होर पंचायत आम चुनाव दिसम्बर, 2012

20 दिसम्बर, 2012 को पंचायत निकायों के रिक्त पदों पर उप चुनाव सम्पन्न कराये गये तथा उसी तिथि को नवगठित जम्होर (औरंगाबाद) पंचायत के पंचायत निकायों के आम चुनाव भी सम्पन्न कराये गये।

15. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार–सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित किया गया है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय (मुख्यालय) एवं राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत, पचांयत समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए है :–

(1) **विभागीय मुख्यालय स्तर पर** :–

(i) **लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

(ii) **सहायक लोक सूचना पदाधिकारी** – संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

(iii) **प्रथम अपीलीय प्राधिकार** – निदेशक, पंचायत राज, बिहार, पटना

(2) **जिला परिषद् स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – निदेशक, लेखा प्रशासन–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) **पंचायत समिति स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) **ग्राम पंचायत स्तर पर** :–

(i) लोक सूचना पदाधिकारी – संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी

(ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार – संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

16. जन शिकायत से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2012–13

क्र0	आवेदनों का वर्गीकरण	प्राप्त आवेदनों की स्थिति		
		प्राप्त आवेदन–पत्रों की कुल संख्या	कुल निष्पादित	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	मुख्यमंत्री सचिवालय	812	156	656
2	जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम	89	8	81
3	राज्यपाल सचिवालय	42	7	35
4	मंत्री पंचायती राज	26	7	19
5	मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग	18	5	13
कुल योग :–		**987**	**183**	**804**

शेष आवेदन पत्रों पर जिला स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित है, जिसे जिलों को भेजकर निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।

17. प्रियासॉफ्ट (PRIASoft)

PRIASoft पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एम0–11011/54/2009–P&C (AR)/P&J दिनांक 21.10.2010 के आलोक में राज्य में Panchayat Raj Institutions Accounting Software (PRIASoft) को क्रियान्वयन करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रिया सॉफ्ट का मूल उद्देश्य Model Accouning System (MAS) के माध्यम से पंचायती राज संस्थओं के तीनों स्तरों पर विविध योजनाओं में व्यय होने वाली राशि के अनुश्रवण हेतु अभिश्रवों एवं रोकड़ बही का कम्प्यूटराईजेशन किया जा रहा है। Model Accounting System (MAS) को PRIs में लागू करने हेतु C&AG की संस्तुति प्राप्त है। तद्नुसार में राज्य स्तर पर PRIASoft के मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण माह जून 2011 में एवं इनका रिफ्रेशर ट्रेनिंग माह फरवरी 2012 में बिपार्ड पटना में सम्पन्न कराया गया। बेल्ट्रॉन के माध्यम से सभी प्रखंडों एवं जिला परिषदों में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराते हुए PRIASoft के माध्यम से Model Accounting System को लागू किया गया है। वर्तमान में कुल 466 कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मी कार्यरत है। अभी 86 कर्मी बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध करया जाना है। PRIASoft अंतर्गत MAS के तहत वर्ष 12–13 में जिला परिषद स्तर पर 2496 पंचायत सचिव स्तर पर 1488 तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 6155 अभिश्रवों की ऑनलाईन प्रविष्टी की जा चुकी है।

नेशनल पंचायत पोर्टल (Natioanl Panchayat Portal)

National Panchayat Portal के तहत विभाग एवं पंचायती राज संस्था के तीनों स्तरों पर website का निर्माण किया जाना है। इस क्रम में State Project Management Unit एवं District Project Management Unit के गठन का कार्य प्रक्रिया में है।

प्लानप्लस (Plan Plus)

Plan Plus Application के तहत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी0आर0जी0एफ0) योजनाओं से संबंधित Draft Plan और Action Plan की प्रविष्टी की जा रही है और इसका अनुश्रवण विभागीय तथा पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के स्तर से की जा रही है।

एरिया प्रोफाईलर (Area Profiler)

Panchayat Enterprise Suite के इस Application तहत पंचायतों का Demographic Detail एवं PRIs के प्रशिक्षण संबंधी सूचना का प्रयोग जिला स्तर पर किया जा रहा है।

लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (Local Government Directory)

Local Government Directory Application के तहत पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विविध सूचनाओं का प्रयोग किया जाना है। जिला स्तर पर इस संदर्भ में कार्य प्रारम्भ है।

18. पंचायत सरकार भवन

पंचायत के क्रिया कलापो के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन तैयार किया गया है। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटि के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पेन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुउद्वेशीय होगा। उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त बाद एवं आपदाओ में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा।

FRONT VIEW WITH JALI DETAIL

पंचायत सरकार भवन का निर्माण क्षेत्र 5920 वर्गफीट है तथा अनुमानित राशि 82.00 लाख रू0 प्रति भवन है। ऐसे भवन के निर्माण से पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जनसामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य है। तत्काल 1212.37 करोड़ रू0 की लागत से 1435 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों का निर्माण कार्य वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में प्रारंभ होगा। पंचायत सरकार भवन का निर्माण जिलो में यथा संभव हरतरफ समानुपातिक रूप से वितरित हों, इसके लिए औसतन 5.8 ग्राम पंचायत की दर से कलस्टर बनाये गये है तथा तत्काल प्रत्येक कलस्टर में एक–एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के मु,ख्यालय ग्राम में बनाया जाएगा तथा उक्त भवन हेतु न्यूनतम 50 डिसमिल जमीन की आवश्यकता होगी। पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) द्वारा किया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा अभीतक 694 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु निविदा की कारवाई की गयी है तथा शेष भवनों के लिए भी कारवाई की जा रही है।

19. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुषंसा के आलोक में राज्य की पंचायत राज संस्थाओं को दो तरह की राशि उपलब्ध करायी जानी है –

(क) राज्य के शुद्व करों के अंतरण से प्राप्त अनुदान राशि – इस राषि का व्यय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र यथा, पेयजल, गाँव के कच्चे सड़कों की ब्रीक सोलिंग एवं नाला निर्माण, सड़कों, नालों, पोखरों, कुओं आदि की सफाइ, मृत जानवरों एवं लावारिश लाशों के निष्पादन, पुस्तकालय को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण सड़कों पर सौर उर्जा लगाने में किया जाना है, परन्तु यदि एक प्रक्षेत्र में राषि की बचत होती है तो आवष्यकतानुसार दूसरी प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में व्यय किया जा सकेगा। उच्च प्राथमिकता के प्रक्षेत्रों में किए गए व्ययों के अतिरिक्त बची हुई राषि पंचायती राज संस्थानों के अन्तर्गत जिला परिषद् के कर्मियों के वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का भुगतान किया जाना है। इसके उपरान्त बची हुई राषि का व्यय पंचायती राज संस्थानों द्वारा अन्य विकास कार्यों के लिए किया जायेगा।

(ख) असम्बद्व अनुदान राशि – पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत 38 जिला परिषदों, 531 पंचायत समितियों एवं 8405 ग्राम पंचायतों को प्रति संस्था क्रमषः 15 लाख रु०,

1 लाख रु० एवं 2 लाख रु० की राषि असंबद्ध अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इस राषि का व्यय जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं पंचायतों के लेखा संधारण एवं क्षमता निर्माण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त होनेवाली राषि 493.43 करोड़ रू० (चार अरब तिरानवे करोड़ तैतालीस लाख रू०) एवं असम्बद्व अनुदान राशि 180.27 करोड़ रू० (एक अरब अस्सी करोड़ सत्ताईस लाख रू०) की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुषंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को रु0 81616.00 लाख (आठ अरब सोलह करोड़ सोलह लाख रु0) उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

राजस्थान के आदर्श पंचायतों के भ्रमण से लौटने के बाद अपने अनुभवों को बाँटते हुए भ्रमण दल के सदस्यगण, जिला–नालन्दा

परिशिष्ट–1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	531
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8406
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8406
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	115057
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8406
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11501
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1162
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	115057
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8406
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल संख्या	8463
12	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	8406
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	8406
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	516

परिशिष्ट – 2

माँग संख्या – 16

योजना

क्र०	योजना का नाम	2012–13 में कर्णांकित राशि (लाख रू0 में)	2013–14 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
1	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम – अनावद्ध निधि	76400.00	65005.00
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (सीवान जिला के लिए) (राज्य निधि से वित्तीय सहायता)	1500.00	–
3	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	9200.00	9200.00
4	वाह्य सम्पोषित परियोजना (विश्व बैंक सहायता)	6000.00	11929.00
5	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम – क्षमता वर्द्धन	3600.00	3800.00
6.	मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	6100.00	7395.00
7.	टास्क फोर्स का गठन	–	5.00
8.	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	25000.00	25000.00
9.	ग्राम कचहरी को किराया	800.00	400.0
10.	विभाग का आधुनिकीकरण	–	551.60
कुल :–		**128600.00**	**123285.60**
		(बारह अरब छियासी करोड़ रु0)	**(बारह अरब बत्तीस करोड़ पचासी लाख साठ हजार रु०)**

परिशिष्ट – 3

मांग संख्या–16

गैरयोजना

क्र०	मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम	2012–13 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)	2013–14 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	22949.57	26367.20
2.	तेरहवाँ वित्त आयोग	132426.00	124678.00
3	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अंशदान	67370.00	81616.00
मुख्य शीर्ष–2015–निर्वाचन			
5.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	168.52	173.25
6.	पंचायत निर्वाचन	1000.00	1000.00
मुख्य शीर्ष–3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएँ			
7.	स्थापना	126.90	135.88
	कुल :–	**224444.99**	**233970.33**
		बाईस अरब चौवालीस करोड़ चौवालीस लाख निनानवे हजार रूपये	**तेईस अरब उन्तालीस करोड़ सत्तर लाख तैंतीस हजार रू०**

वर्ष 2013–14 का कुल योग (योजना + गैर योजना)
123285.60 + 233970.33 = 357255.93
(पैंतीस अरब बहत्तर करोड़ पचपन लाख तिरानवे हजार रू0)

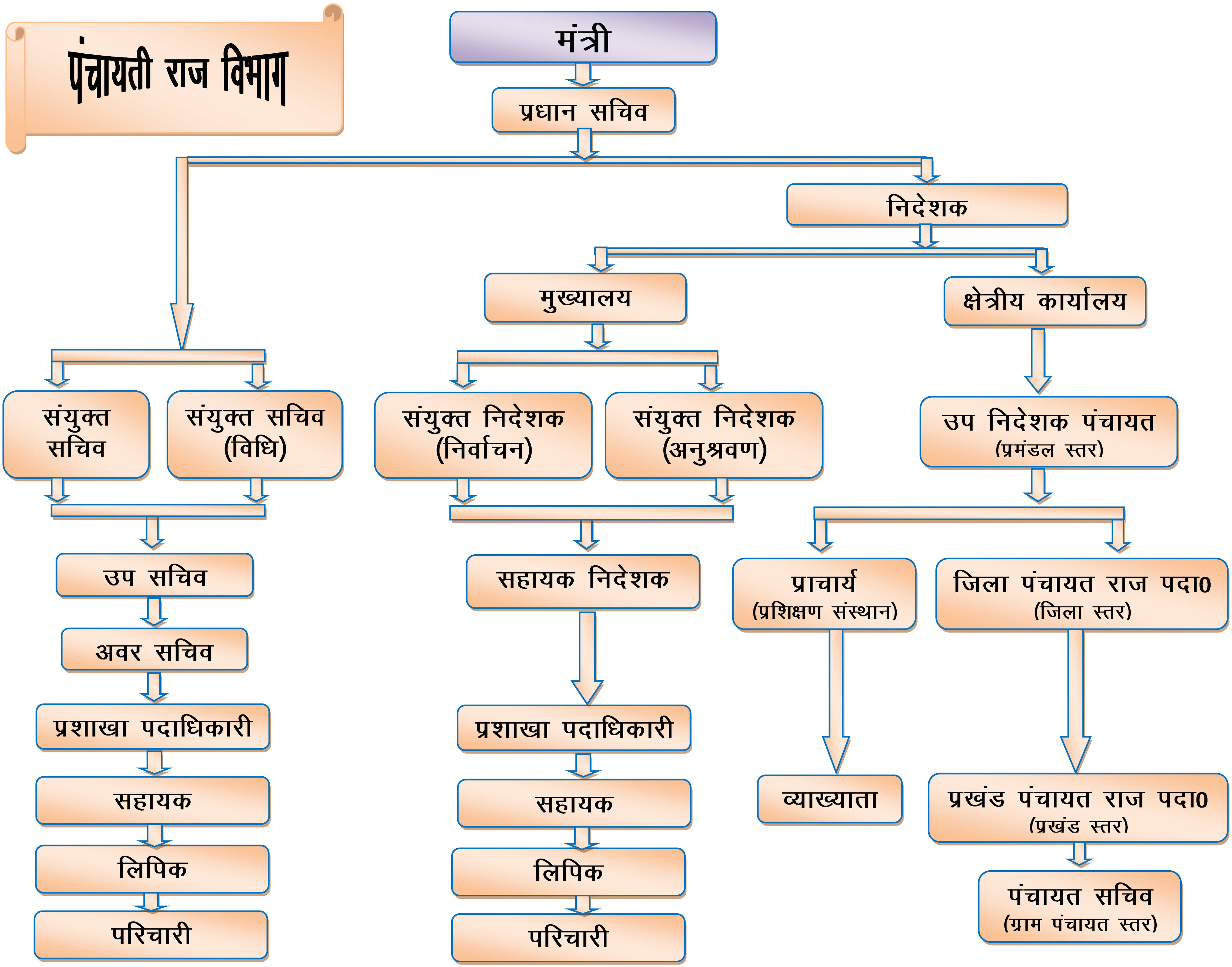
पंचायती राज विभाग
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशक
मुख्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
संयुक्त सचिव
संयुक्त सचिव (विधि)
संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)
संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)
उप निदेशक पंचायत (प्रमंडल स्तर)
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदाधिकारी
सहायक
लिपिक
परिचारी
सहायक निदेशक
प्रशाखा पदाधिकारी
सहायक
लिपिक
परिचारी
प्राचार्य (प्रशिक्षण संस्थान)
जिला पंचायत राज पदा0 (जिला स्तर)
व्याख्याता
प्रखंड पंचायत राज पदा0 (प्रखंड स्तर)
पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत स्तर)

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत/ सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रधान सचिव/सचिव	1	1	0
2	निदेशक	1	1	0
3	संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव	1	0	1
4	संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव (विधि)	1	0	1
5	संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)	1	0	1
6	संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)	1	0	1
7	उप सचिव	3	1	2
8	अनुश्रवण पदाधिकारी	1	0	1
9	सहायक निदेशक	1	1	0
10	अवर सचिव	3	2	1
11	उपराज्य आयोजक	1	0	1
12	योजना पदाधिकारी	1	0	1
13	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर)	1	0	1
14	शाखा आयोजक–सह–ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	1	0	1
15	विशेष कार्य पदाधिकारी	1	1	0
16	प्रशाखा पदाधिकारी	9	7	2
17	सहायक	34	24	10
18	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (6500–10500) (संविदा पर)	1	0	1
19	प्रधान आप्त सचिव	1	1	0
20	आप्त सचिव	2	1	1
21	निजी सहायक	2	1	1
22	आशुलिपिक	1	1	0
23	सचिव के सचिव	1	0	1
24	उच्चवर्गीय लिपिक	8	8	0
25	निम्नवर्गीय लिपिक	12	2 +2	8 (बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि0, पटना के 2 कर्मी प्रतिनियुक्त)
26	लेखापाल	1	1	0 (प्रभारी लिपिक)

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत / सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति
1	2	3	4	5
27	रोकड़पाल	1	0	1
28	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय)	2	2	0
29	प्रधान अनुदेशक	1	0	1 (अनुदेशक प्रतिनियुक्त)
30	कलाकर–सह–संगणक	1	0	1
31	वाद्य अनुदेशक	1	0	1
32	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)	5	12	0 (बेल्ट्रॉन से सेवा प्राप्त)
33	चालक	2	0	2 (एक संविदा पर सेवा नि0 चालक कार्यरत)
34	अभिलेखवाह	1	1	0
35	ट्रेजरी सरकार	1	0	1 (एक कार्यालय परिवारी कार्यरत)
36	पदचर / आदेशपाल / कार्यालय परिचारी	18	11 +2	5 (बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि0, पटना के 2 कर्मी प्रतिनियुक्त)
37	जन शिकायत पदाधिकारी (सेवानिवृत्त अपर समाहर्त्ता संविदा पर)	1	1	0
38	प्रशाखा पदाधिकारी (जन शिकायत कोषांग) (सेवानिवृत्त प्रशाखा पदाधिकारी संविदा पर)	1	1	0
39	कार्यपालक सहायक (जन शिकायत कोषांग संविदा पर)	1	0	1
कुल :–		**127**	**85**	**49**

नोट :– क्रमांक 32 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 5 पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 12 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

पंचायत भवन, हरपुर बोचहाँ, विद्यापति नगर (समस्तीपुर)

हरपुर बोचहाँ ग्राम पंचायत द्वारा ली गई योजना का निर्माण कार्य

पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग